


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम अहमी मुकदमा नम्बर - 473 /2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2023	<p>आज पत्रावली पेश हुई। स्टेट की ओर से तहसीलदार लूनकरनसर व प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि स्टेट की ओर से भूमिधारी तहसीलदार लूनकरनसर ने वाद अन्तर्गत धारा 175,177 आरटीएक्ट 1955 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा महाजन के खसरा नम्बर 828 तादादी 9.76 हैक्टेयर भूमि में बिना भूमि अनुमति एवं संपरिवर्तन करवाये बालू मिट्टी निकालकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने पर आरटीएक्ट की धारा 175,177 के तहत दावा पेश किया। प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार किया तथा जरिये जवाब निवेदन किया की वादी द्वारा एक तरफा निरीक्षण किया गया प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा वादगत भूमि में फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने हेतु पानी का स्टोरेज करने हेतु डिग्गीयो का निर्माण कर रखा है इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य अकृषि उपयोग नहीं किया गया है। डिग्गी का निर्माण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं है जो अकृषि उपयोग में नहीं आता है। हमने मौका स्थल का निरीक्षण किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कथनों में विरोधाभास पाया गया। मौका पर भूमि समतल की हुई पाई गई तथा मौका पर पेड़-पौधे लगाए हुए हैं। ऐसी कोई गतिविधि होना नहीं पाया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन किया जा रहा हो। चूंकि प्रतिवादी द्वारा भूमि का अकृषि उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज जवाब दावा के संलग्न पेश किये हैं।</p> <p>इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज व मौका निरीक्षण उपरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा ग्राम महाजन के खसरा नम्बर 828 रकबा 9.79 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है ना ही किसी प्रकार बालू मिट्टी निकालना प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी/अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है इसी प्रकार सबूतों के अभाव में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट निस्तारित किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
 (संजीव कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लूनकरनसर